



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 787]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 11, 2016/कार्तिक 20, 1938

No. 787]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 11, 2016/KARTIKA 20, 1938

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 2016

सा.का.नि. 1063(अ).—केंद्रीय सरकार, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 (1949 का 66) की धारा 18 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, पायनियर काडर (समूह 'ख' एवं 'ग' पद) भर्ती नियम, 2010 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थातः—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल पायनियर काडर (समूह 'ख' एवं 'ग' पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2016 है।

(2) ये, इनके राजपत्र में प्रकाश होने की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल पायनियर काडर (समूह 'ख' एवं 'ग' पद) भर्ती नियम 2010 की अनुसूची में उपनिरीक्षक (सिविल) पद से संबंधित स्तम्भ (1) के सामने:—

(क) स्तम्भ संख्या-8 के अधीन प्रविष्टि "(5) अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षण, साक्षात्कार और चिकित्सीय परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण करनी होगी", के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थातः—

"(5) उमीदवारों को लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षण और चिकित्सीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी";

(ख) स्तम्भ संख्या (11) के अधीन प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएगी, अर्थातः—

"50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा; और 50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और दोनों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा";

[फा. सं. आर. II-21/2009-16-भर्ती-71-क(समूह 'ख' एवं 'ग' पद) भ. नि.]

आर. बी. एस. नेगी, उप सचिव (कार्मिक)

टिप्पणः— मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. सं. 490(अ) तारीख 9 जून, 2010 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 4th November, 2016

G.S.R. 1063(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 18 of the Central Reserve Police Force Act, 1949 (66 of 1949), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Central Reserve Police Force, Pioneer Cadre (Group B and C Posts) Recruitment Rules, 2010, namely:-

1. (1) These Rules may be called the Central Reserve Police Force, Pioneer Cadre (Group B and C Posts) Recruitment (Amendment) Rules, 2016.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.
2. In the Schedule to the Central Reserve Police Force, Pioneer Cadre (Group B and C Posts) Recruitment Rules, 2010, against serial number (1) relating to the post of Sub-Inspector (Civil),-
 - (a) in the entries under column (8), for the entry “(5) Candidates will have to pass Written Test, Physical Efficiency Test, **Interview** and Medical Examination”, the following entry shall be substituted, namely:-
“(5) Candidates will have to pass Written Test, Physical Efficiency Test and Medical Examination” ;
 - (b) for the entries under column (11), the following entries shall be substituted, namely:-
“50% by direct recruitment; and
50% by promotion failing which by deputation and failing both, by **direct** recruitment”.

[F. No. R. II-21/2009-16-Rectt(71-A) (Group B and C Posts) RRs]

R. B. S. NEGI, Dy. Secy. (Pers)

Note : The principal rules were published in the Gazette of India vide notification number G.S.R. 490(E), dated the 9th June, 2010.